राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 1(3) ग्रावि/नरेगा/बजट घोषणा/पार्ट–I/2010 जयपुर, दिनांक 17 OCT 2011

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्, पाली।

विषय :– एमजी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के मानदेय में आई विसंगति को दूर करने एवं वेतन वृद्धि बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत समस्त डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एमजी नरेगा जिला पाली ने इस विभाग को कम्प्यूटर ऑपरेटर मैन विद् मशीन एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के मानदेय में अन्तर के संबंध में इस विभाग को अवगत कराया है। इस संबंध में लेख है कि कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन का मानदेय वित्त विभाग के परिपत्र एफ 9(1)एफडी–1/(1) बीयूडी/2004 दिनांक 28.07.08 के अनुसार रूपये 6000/– प्रतिमाह निर्धारित किया हुआ है। कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन को प्रति वर्ष 10 प्रतिशत मानदेय वृद्धि देय नहीं है। यह एक पैकेज के रूप में निविदा या निगोसियेशन के आधार पर है। वित्त विभाग ने अपने परिपत्र दिनांक 25.07.11 के द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन का मानदेय रूपये 6000/– के स्थान पर 6500/– प्रति माह किया है, जिसके संबंध में इस विभाग के आदेश दिनांक 11.08.11 के द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है।

इस संबंध में यह सुनिश्चित करें कि आपके जिले में कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन को उनके पैकेज में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत मानदेय की वृद्धि तो नहीं दी गई है। यदि आपके जिले में कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन को पैकेज के अलावा 10 प्रतिशत मानदेय का भुगतान किया गया है तो उसे तुरन्त बन्द करें तथा अब तक अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली की कार्यवाही करावें।

भवदीय

(बद्रीनारायण)
अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पाली के अलावा) समस्त राजस्थान।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस